छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
विज्ञापन

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21.12.2016 संध्या 5.00 बजे तक

इस उच्च न्यायालय की स्थापना में **आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी** – (स्वीपर/ फर्राश/ माली/ गार्ड/ वाहन चालक/ खानसामा/ तकनीशियन – पम्पअटेंडेंट/ प्लम्बर/ धोबी/ इलेक्ट्रीशियन/ कारपेंटर,चौकीदार/ ब्यूटीशियन/ नाई/नर्स इत्यादि का अनुभव रखने वाले) के **60 पदों** पर **जिलाध्यक्ष बिलासपुर द्वारा निर्धारित दैनिक वेतन** पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक एवं भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है:–

वर्गवार पदों की संख्या, योग्यता एवं अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं:–

वर्ग	महिला	पुरूष	निःशक्तजन	कुल
अनारक्षित	03	08	02	**13**
अनुसूचित जाति	02	06	01	**09**
अनुसूचित जनजाति	09	23	00	**32**
अन्य पिछड़ा वर्ग	01	04	01	**06**
कुल योग	**15**	**43**	**02**	**60**

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा – 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य एवं सेवा का कार्य (Menial work) करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण–पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

नोट :– 1. पदों एवं आरक्षित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। आरक्षित पदों पर चयन/नियुक्ति माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका W.P.(C) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिये।

अन्य शर्तें :–

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये।
2. दिनांक 01.01.2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। (केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी)
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं निशक्तजनों को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:–

   1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष
   2. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
   3. निःशक्तजनों हेतु 10 वर्ष
   4. स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जावेगा।

5. आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

6. मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक, जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जावेंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं।

7. किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

8. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

9. एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे।

10. जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

11. वह किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

12. वह किसी नैतिक दृष्टता हेतु अपराधी न ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो।

13. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता/करती हो।

14. टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (यथा– जन्म/आयु प्रमाण पत्र, कक्षा– 5वीं प्रमाण पत्र), जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद **"आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र"** लिखा हो, रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किये जाने चाहिए। उक्त आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के गेट क्रमांक 02 पर रखे ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक **21.12.2016** को संध्या 5.00 बजे तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे तथा उक्त से भिन्न प्रकार से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा।

15. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।

16. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

17. प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकि एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय आवेदक की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकि अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा शैक्षणिक, तकनीकि एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

18. नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों को छंटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा।

19. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी/सब–कमेटी द्वारा सम्पन्न की जावेगी। इस कमेटी/सब–कमेटी को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। उपयुक्त आवेदकों की छंटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छंटाई की जा सकेगी। यह छंटाई पद विशेष के योग्यता, आवश्यकता एवं अनुभव के आधार पर अलग–अलग की जा सकती है।

20. आवेदनों की छंटाई के पश्चात् आवेदकों को रोल नम्बर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, साक्षात्कार/कौशल परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान की जानकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाईट **http://www.cghighcourt.nic.in** पर अपलोड किया जावेगा। आवेदकों को आबंटित रोल नम्बर के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की सूचना तथा साक्षात्कार/कौशल परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से ही दी जावेगी।

उम्मीदवारों का प्रारंभिक चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा तथा ऐसे साक्षात्कार का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग में कुशलता प्राप्त उम्मीदवारों का चयन करना होगा। आवेदकों की कौशल परीक्षा पृथक से ली जावेगी एवं उम्मीदवारों का अंतिम चयन कौशल परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जावेगा। कौशल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक वर्ग में रिक्त पद के विरूद्ध 1 : 3 के अनुपात में किया जावेगा।

21. साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु उपयुक्त पाये गये आवेदकों का साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय के वेबसाईट **http://www.cghighcourt.nic.in** पर अपलोड किया जावेगा। आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आई.डी. प्रूफ (पहचान पत्र) यथा– ड्राईविंग लायसेंस/वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पास–बुक/ पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड सहित

साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। **किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप में साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।**

22. किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

23. साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

24. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेंगी। उनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम 2003 के अध्यधीन होगी।

25. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

26. प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

27. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार/कौशल परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

28. चयन परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य होने पर ही अभ्यर्थी उपरोक्त पद हेतु आवेदन करें। संपूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप इस उच्च न्यायालय के वेबसाईट http://www.cghighcourt.nic.in पर उपलब्ध है।

सही/-
(अरविंद सिंह चंदेल)
रजिस्ट्रार जनरल

आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
(श्री/श्रीमती/कु.)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) : ....

2. पिता/पति का पूरा नाम : ....

3. जन्मतिथि : ....

4. आयु दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में [ ] [ ] [ ] हस्ताक्षर
वर्ष माह दिन

5. लिंग (महिला / पुरूष) :..................................

6. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं अथवा नहीं :..................................

(यदि हों तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7. शैक्षणिक योग्यता (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	कक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	वर्ष	प्रतिशत
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

8. अनुभव यदि कोई हो तो :..................................

(स्वीपर/ फर्राश/ माली/ गार्ड/ वाहनचालक/ खानसामा/ तकनीशियन– पम्पअटेंडेंट/ प्लम्बर/ धोबी/ इलेक्ट्रीशियन/ कारपेंटर, चौकीदार/ ब्यूटीशियन/ नाई/ नर्स इत्यादि (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. वर्ग (जो लागू हो)

अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य

(स्वप्रमाणित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें),

10. यदि निःशक्त हों तो – निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत :..........................

....

(स्वप्रमाणित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें),

11. क्या आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया है अथवा लंबित है,

हॉ/नहीं ....(यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें)"

12. क्या आवेदक को किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है,

हॉ/नहीं ....(यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें)

13. क्या आवेदक को किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह किया गया है,

हॉ/नहीं ....(यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें)"

14. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :..

:..

:..

15. स्थायी पता :..

:..

:..

16. संलग्नकों की सूची:-

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. ....

घोषणा पत्र

मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी मेरी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैनें अपनी शैक्षणिक/तकनीकि/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही–सही पूर्ण विवरण दिया है। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

स्थान –
दिनांक –

(आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम)